

9.11.18/17

पिपली सं. 3
की लक्षण
सहजली से गर्ज

Adf

2018
ली आज दिनांक 10/5/18 को विहित होने पर लोक
न्यायालय कोर्ट के माध्यम से प्रत्यक्ष पर तलब की गयी!
प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा नहीं
होने/वादी/प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण का
निरस्तारण नहीं हो सका! अतः पत्रावली पुनः न्यायालय हाजा
में दिनांक... 8-8-18 को वास्तु... पेश हो।

सहायक कलक्टर, बदनोर

8-8-18

पत्राक: पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पेशी कार्य स्थगित रखा गया है पीठासीन
अधिकारी महोदय को पत्र/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश के पश्चात् से पत्रावली
दिनांक... 11.11.18... को पेश हो

आज्ञा से
रीडर

सहायक कलक्टर बदनोर

14-11-18

पत्राक: पेश हुई। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पेशी कार्य स्थगित रखा गया है पीठासीन
अधिकारी महोदय को पत्र/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश के पश्चात् से पत्रावली
दिनांक... 30.11.18... को पेश हो

आज्ञा से
रीडर

सहायक कलक्टर बदनोर

30-1-19.

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रश्नी उपस्थित।
प्रतिवादी/विपक्षी सं. 2 की मृत्यु हो जाने
से नाम डिलीट का प्रार्थना पत्र पर्व
में पेश है। विपक्षी सं. 3 ने पर्व में
सद्वमती प्रधान की है। अन्य विपक्षीगण
के विरुद्ध पूर्व में एक तरफ
कार्यवाही के आदेश दिष्ट जा चुके
हैं। अतः प्रार्थना का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाता है।


आदेश।

प्रार्थना पत्र में वर्तित आराजिगत
के पथर गडी के आदेश
दिष्ट जाने हैं। तदनुसार

12-10

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अदालत S.D.M. कर्त मुकाम बदना
बदना केरी रावत बनाम मनोहर सिंह रावत
 म मुकदमा 128 R.T.A नं. 18 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>बदना के नाम पथरगुडी आदेश पालना बापत तक्रारी जारी की जावे। पत्रावली के रूल शमान को कर दखिल हुकम की जावे तथा नम्बर से काम हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक जज (S.D.O.) बदना </p>	

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) बदनोर, जिला भीलवाडा

क्रमांक/रा.लो./कोर्ट/2019/177

दिनांक- 18-2-19

प्रेषिति-



तहसीलदार, बदनोर
(दौ प्रतियो में)

विषय-मु.त.प्र.सं 18/2018 अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम।

आदेश दिनांक:-30.01.19 की पालनार्थ बाबत

अनवान

1. लक्ष्मीदेवी पुत्री हुक्मा रावत निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
2. सायरीदेवी पत्नि हुक्मा रावत निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
3. बदामीदेवी पत्नि नारायणसिंह रावत निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
4. किसना पिता भैरासिंह रावत निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
5. पुना पिता भैरासिंह रावत निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
6. लाडुसिंह पिता नारायणसिंह रावत निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
7. गोविन्दसिंह पिता नारायणसिंह रावत निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।-प्रार्थीगण

बनाम

1. मनोहरसिंह पिता नोपसिंह रावत निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
2. बरदासिंह पिता मल्लासिंह निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
3. दयालसिंह पिता गिरधारीसिंह निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
4. गोपालसिंह पिता अमरसिंह निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
5. खीमसिंह पिता रामसिंह निवासी मोठी तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
6. नेनुसिंह पिता रामसिंह निवासी मोठी तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब बदनोर जिला भीलवाडा।-विपक्षीगण

विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा के आदेशानुसार लेख है कि खाता संख्या 5 की आराजी नम्बर 199/358 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 205 रकबा 0.10 है0, आराजी नं0 207 रकबा 0.29 है0, आराजी नं0 208 रकबा 0.32 है0, आराजी नं0 209 रकबा 0.28 है0, आराजी नं0 212 रकबा 0.21 है0, आराजी नं0 219 रकबा 0.23 है0 भूमि वाके ग्राम लक्ष्मणगढ़ पटवार हल्का मोठी की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भू0अभिलेख निरीक्षक को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क राजकोष में जमा किये जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। अतएवं पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट मय चालान की प्रति, मौका पर्चा रिपोर्ट मय तामिलि सूचना रिपोर्ट सहित इस न्यायालय में 15 दिवस में आवश्यक रुप से भिजवावे।

सहायक कलक्टर
(S.D.O. बदनोर)